अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। व्यय के अनुमान 'भारित' और 'दत्तमत़' मदों के व्यय को अलग-अलग दर्शाते हैं और अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय के भिन्न करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व विधायी प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।

पंजाब बजट नियमावली, जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय को विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष के परामर्श पर तैयार किया जाता है और निर्धारित तिथियों को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसको 'अनुदानों के लिए मांग' कहते हैं। चार्ट 3.1 में दिए अनुसार राज्य बजट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं।



चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों के विवरण

भारित व्यय: व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण: संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की संचित निधि पर एक प्रभार का गठन करते हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं। दत्तमत व्यय: अन्य सभी प्रकार के व्यय पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

बजट के विभिन्न घटकों को चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

मूल बजट (₹ 1,47,065.11 करोड़) विधानसभा दवारा अनुमोदित कुल **ਕ** ਹਨ (₹ 1,29,856.27 4 बजट (₹ 26,593.44 करोड़) करोड़) (₹ 1,56,449.71 करोड़) अन्पूरक प्रावधान (₹ 9,384.60 करोड़) विधानसभा द्वारा प्राधिकार सरकार द्वारा कार्यान्वयन

चार्ट 3.2: 2019-20 के दौरान व्यय की त्लना में क्ल बजट प्रावधान

स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोजन लेखों में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित

वित्तीय वर्ष के दौरान क्ल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

2015-20 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत तथा इसके आगे दत्तमत/भारित में विभाजन की संक्षिप्त स्थिति *तालिका 3.1* में दी गई है।

तालिका 3.1: 2015-20 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत भारित		दत्तमत	भारित
2015-16	91,483.98	20,075.28	79,478.98	16,001.52	12,005.00	4,073.76
2016-17	92,200.76	20,458.70	76,947.96	16,121.70	15,252.80	4,337.00
2017-18	1,02,879.77	22,110.63	84,418.03	18,544.66	18,461.74	3,565.97
2018-19	1,07,759.20	33,973.70	90,304.44 31,058.32		17,454.76	2,915.38
2019-20	1,19,003.62	37,446.09	98,167.61	31,688.66	20,836.01	5,757.43

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोजन अधिनियम के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए भारित और दत्तमत विनियोजन अनुदानों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोजन लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधानों, अनुप्रक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की दोनों भारित और दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय को इंगित करते हैं। अतः, विनियोजन लेखे, निधियों के उपयोग वित्त का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ की सुविधा प्रदान करते हैं और इस प्रकार, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है तथा यह कि संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के अनुसार भारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को ही इस प्रकार भारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अन्रूप है।

3.3 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियां

3.3.1 अनावश्यक या अत्यधिक/अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोजन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर एक अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 37 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 6,862.14 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। 13 मामलों में, ₹ 2,492.80 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में वर्णित किया गया है। दूसरी ओर, दो मामलों में ₹ 28.95 करोड़ का अनुपूरक अनुदान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था (चार्ट 3.3)।

37 मामले अतः संपूर्ण इन मामलों में मूल प्रावधान : अनुपूरक अनुपूरक ₹ 77,208.05 करोड़; प्रावधान अनावश्यक अनुदान ₹ 6,862.14 ₹ 66,703.00 करोड़ सिद्ध हुए करोड़ इन मामलों में 13 मामले : अधिक अनुप्रक मूल प्रावधान : अनुपूरक प्रावधान: ₹ 19,965.51 करोड़; प्रावधान: ₹ 1,674.15 ट्यय : ₹ 2,492.80 करोड़ ₹ 20,784.16 करोड़ करोड़ 2 मामले : अपर्याप्त इन मामलों में मूल प्रावधान : अपर्याप्त अनुपूरक अनुपूरक ₹ 1,576.17 करोड़; प्रावधान: प्रावधान: ₹ 28.95 करोड़ ₹ 153.38 करोड़ ₹ 1,758.50 करोड़

चार्ट 3.3: अनावश्यक, अत्यधिक और अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

स्रोत: विनियोजन लेखे

इस प्रकार से बड़ी संख्या में मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। सरकार बड़ी बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए प्रभावी बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करे।

3.3.2 बचत

अनुमानों की पूर्ण सटीकता हमेशा संभव नहीं हो सकती है; लेकिन जहां चूक या अशुद्धि पूर्वविचार की कमी, स्पष्ट या अवास्तविक अनुमान की उपेक्षा का परिणाम है यह चिंता का विषय है। सभी आकलन अधिकारियों द्वारा बजट में वह सब कुछ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिसका पूर्वाभास हो और केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए जितना आवश्यक हो। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों द्वारा अनुमानों की अंतिम जांच करते समय इस पर विचार करना चाहिए।

अवास्तिवक प्रस्तावों, संसाधन जुटाने की क्षमता का अत्यधिक विस्तार, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतिरक नियंत्रणों पर आधारित बजटीय आबंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों के जारी करने को बढ़ावा देते हैं। अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित भी करती है जिनका वे उपयोग कर सकते थे।


(i) आबंटनों की तूलना में बचतें

कुल मिलाकर ₹ 26,593.44 करोड़ की कुल बचत थी। इनमें से, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए 39 मामलों में ₹ 25,905.61 करोड़ की बचत थी (पिरिशिष्ट 3.2)। इन 39 मामलों में, ₹ 1,37,879.71 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,11,974.10 करोड़ का वास्तविक व्यय तथा ₹ 25,905.61 करोड़ की बचत थी। जिन मामलों में पर्याप्त बचत हुई थी उन्हें तालिका 3.2 में सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 3.2: ₹ 500 करोड़ से अधिक बचत वाले मामलों का विवरण

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल	अनुप्रक	कुल	वास्तविक	बचत
	व (दत्तमत)					
1	6-वित्त	10,584.69	14.43	10,599.12	9,064.73	1,534.39
2	9-शिक्षा	13,941.98	378.12	14,320.10	13,632.85	687.25
3	15-स्थानीय शासन	4,021.68	1,438.35	5,460.03	3,196.37	2,263.66
4	27-कृषि	2,721.80	335.00	3,056.80	1,513.84	1,542.96
5	32-ग्रामीण एवं	4,898.60	383.14	5,281.74	3,940.38	1,341.36
	सामुदायिक विकास					
6	40-ऊर्जा और	7,366.92	1,500.00	8,866.92	7,028.67	1,838.25
	विद्युत					
राजस्व	व भारित					
7	6-वित्त	16,799.62	0.00	16,799.62	15,588.01	1,211.61
पूंजीग	त (दत्तमत)					
8	8-भवन एवं सड़कें	4,008.64	459.76	4,468.40	2,970.57	1,497.83
9	14-शहरी विकास	1,300.00	500.00	1,800.00	883.72	916.28
10	23-खाद्य एवं	13,596.40	1,509.46	15,105.86	14,107.10	998.76
	आपूर्ति					
पूंजीग	त (भारित)					
11	लोक ऋण	20,257.15	0.00	20,257.15	15,775.51	4,481.64

बजट आबंटन के विरूद्ध बचत की प्रतिशतता के अनुसार अनुदानों/विनियोजनों को *चार्ट 3.4* में वर्गीकृत किया गया है।



(ii) निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान 20 अनुदानों और एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें, जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं, पाई गईं (तालिका 3.3)। तालिका 3.3: निरंतर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

豖.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि					
सं.		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
राजस	व (दत्तमत)						
1.	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	237.74	283.17	10.76	22.00	18.24	
		(58)	(62)	(26)	(37)	(34)	
2.	11-खेल एवं युवा कल्याण	84.43	105.84	211.20	114.86	114.93	
		(27)	(25)	(46)	(29)	(28)	
3.	14-शहरी विकास	63.06	12.47	53.95	38.93	477.33	
		(37)	(13)	(51)	(36)	(82)	
4.	15-स्थानीय शासन	1,407.70	879.77	1,462.93	2,168.63	2,263.66	
		(43)	(25)	(27)	(43)	(41)	
5.	17-रोजगार	29.62	16.12	56.52	45.37	69.75	
		(38)	(23)	(24)	(13)	(15)	
6.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	30.39	52.67	122.11	185.11	201.65	
		(12)	(19)	(29)	(37)	(31)	
7.	19-एस.सी और बी.सी. का कल्याण	323.20	213.79	357.63	325.97	226.64	
		(49)	(27)	(47)	(45)	(44)	
8.	21-महिला एवं बाल विकास	268.23	368.88	232.26	476.58	409.27	
		(27)	(33)	(22)	(34)	(29)	
9.	24-सिंचाई	359.16	512.12	519.63	214.32	265.50	
		(21)	(27)	(27)	(13)	(15)	
10.	25-उद्योग	70.33	436.29	234.39	343.58	60.84	
		(56)	(62)	(64)	(61)	(19)	

क्र.	अनुदान की संख्या एवं नाम		ō	चत की राशि	1	
सं.		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
11.	27-कृषि	374.19	826.91	648.44	956.78	1,542.96
		(27)	(43)	(34)	(35)	(50)
12.	28-पशुपालन	171.88	110.83	88.83	107.55	183.11
		(25)	(15)	(12)	(12)	(18)
13.	30-वन एवं वन्य जीवन	76.92	97.95	142.21	143.96	178.39
		(19)	(26)	(31)	(32)	(35)
14.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	815.54	366.90	1,193.68	1,261.75	1,341.36
		(28)	(10)	(26)	(26)	(25)
15.	34-परिवहन	259.83	283.94	277.38	406.76	387.16
		(13)	(13)	(12)	(16)	(16)
16.	37-चुनाव	15.49	11.24	38.15	30.63	171.11
		(22)	(20)	(53)	(40)	(56)
पूंजीग	त (दत्तमत)					
17.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	14.74	16.99	14.30	53.33	32.13
		(32)	(36)	(37)	(78)	(42)
18.	21-महिला एवं बाल विकास	168.82	37.37	110.87	77.01	127.84
		(79)	(34)	(64)	(48)	(88)
19.	34-परिवहन	79.85	149.58	45.64	163.57	488.07
		(38)	(57)	(17)	(47)	(88)
20.	38-जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	323.70	310.50	273.98	294.53	296.86
		(28)	(25)	(19)	(17)	(20)
पूंजीग	त (भारित)					
21.	लोक ऋण	2,820.83	4,401.67	3,606.12	2,081.88	4,481.64
		(28)	(45)	(36)	(11)	(22)

कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों में बचत की समीक्षा से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान 22 योजनाओं (वेतन/स्थापनाओं से अलग) में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी (पिरिशिष्ट 3.3)

इस प्रकार की बड़ी बचतें दोषपूर्ण बजट के साथ-साथ अनुदान अथवा विनियोजन में निष्पादन में कमी का संकेत है। आगे, क्योंकि निर्दिष्ट तारीख 15 अप्रैल 2020 के उपरांत प्राप्त सभी पुनर्विनियोजन आदेशों को लेखों में शामिल नहीं किया जा सका, बचत के कारणों को लेखों में शामिल नहीं किया गया था।

विकास योजनाओं पर व्यय का एक विस्तृत विश्लेषण अनुच्छेद 3.4.3 में किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कार्यान्वित नहीं की गई योजनाओं, संशोधित परिव्यय में कमी, संशोधित परिव्यय में वृद्धि परंतु कम व्यय, संशोधित परिव्यय में किए गए प्रावधान के बावजूद नई योजनाओं में कोई व्यय नहीं, आदि पर प्रकाश डालता है।

3.3.3 अत्यधिक व्यय और इसके विनियमन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुपालना में पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के

लिए यह जरूरी है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से विनियमित करवाएं जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों की चर्चा के पूर्ण होने के बाद अधिक व्यय को विनियमित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दो अनुदानों के अंतर्गत राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशि से ₹ 153.39 करोड़ का अधिक संवितरण किया गया था। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि से प्रमुख शीर्षवार अधिक संवितरण तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: 2019-20 के दौरान मुख्य शीर्षवार अधिक संवितरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
1	8	2059	लोक निर्माण कार्य	304.41	174.57	(-) 129.84
2	8	2216	आवास	34.81	38.69	3.88
3	8	3054	सड़कें एवं पुल	833.56	1,086.52	252.96
	अनुदा	न सं.8	कुल	1,172.78	1,299.78	127.00
1	23	2408	खाद्य, भंडार एवं भंडारण	427.05	453.97	26.92
2	23	3456	नागरिक आपूर्ति	0.28	0.19	(-) 0.09
3	23	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.01	4.57	(-) 0.44
	अनुदान संख्या 23		कुल	432.34	458.73	26.39
	कुल	योग		1,605.12	1,758.51	153.39

मुख्य शीर्ष 3054 के अंतर्गत, अधिक व्यय मुख्य रूप से केंद्रीय सड़क निधि के प्रति अधिक व्यय (₹ 200.77 करोड़), मुख्य शीर्ष 2059 से स्थापना व्यय के अनुपातिक हस्तांतरण (₹ 44.29 करोड़) और जिला सड़कें पर अधिक व्यय (₹ 6.44 करोड़) के कारण थे। मुख्य शीर्ष 2408 के अंतर्गत, अधिक व्यय मुख्य रूप से फील्ड स्टाफ (₹ 48.22 करोड़) की स्थापना पर था, जिसे आई.टी. एवं कंप्यूट्रीकरण (₹ 13.46 करोड़), निदेशालय स्टाफ की स्थापना (₹ 4.30 करोड़) और जिला न्यायाधिकरण (₹ तीन करोड़) की बचत में से ऑफसैट किया गया था। इस प्रकार, अनुदान संख्या 8 और 23 के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 153.39 करोड़) का अधिक व्यय किया गया जो कि राज्य विधायिका द्वारा किए गए प्राधिकरण से अधिक था और इसे नियमित करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2018-19 से संबंधित तीन विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 41.54 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधायिका द्वारा अभी नियमित किया जाना है (अक्तूबर 2020)। यह संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 का उल्लंघन है तथा बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को हानि पहुंचाता है और जन संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.4.1 बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमताएं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य उप-इष्टतम आबंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को निधियों से वंचित करती है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

2019-20 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 1,56,449.71 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,29,856.27 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप 2019-20 में ₹ 26,593.44 करोड़ की बचत हुई। इसका विवरण *तालिका 3.5* में दिया गया है।


तालिका 3.5: 2019-20 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
	T	पानपाजन	पानपाजन		० ५५	जाविषय (+)
ΙC	I राजस्व	77,959.18	5,772.11	83,731.29	69,391.26	(-) 14,340.03
दत्तमत	॥ पूंजीगत	30,351.37	3,238.69	33,590.06	27,467.10	(-) 6,122.96
ŀĠ	III ऋण एवं अग्रिम	1,407.27	275.00	1,682.27	1,309.25	(-) 373.02
कुल ट	त्तमत	1,09,717.82	9,285.80	1,19,003.62	98,167.61	(-) 20,836.01
	IV राजस्व	16,990.14	33.80	17,023.94	15,788.94	(-) 1,235.00
भारित	V पूंजीगत	100.00	65.00	165.00	124.21	(-) 40.79
툹	VI सार्वजनिक ऋण	20,257.15	0.00	20,257.15	15,775.51	(-) 4,481.64
	पुनर्भुगतान					
कुल 🌡	गरित	37,347.29	98.80	37,446.09	31,688.66	(-) 5,757.43
आकरि	मिक निधि से विनियोजन	-	-	-	-	-
कुल योग		1,47,065.11	9,384.60	1,56,449.71	1,29,856.27	(-) 26,593.44

स्रोत: विनियोजन लेखे

नोटः ऊपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिनमें लेखों में दर्शाई गई कटौती के रूप में वस्लियों राजस्व शीर्षों (₹ 331.99 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 9,925.38 करोड़) की परिगणना नहीं की गई।



₹ 9,384.60 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान द्वारा मूल प्रावधान का छः प्रतिशत संघटित किया गया जोकि गत वर्ष में 13 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण हेतु वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार ने ₹ 1,11,908.84² करोड़ का मूल बजट तैयार किया और इसे संशोधित कर ₹ 1,08,203.33 करोड़ किया गया, जिसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 1,03,823.39 करोड़ था। 2015-16 से 2019-20 की अविध के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियां *तालिका 3.6* में दी गई हैं।

तालिका 3.6: 2015-20 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मूल बजट	69,140.29	88,781.96	92,384.38	1,02,732.54	1,11,908.84
संशोधित अनुमान	85,037.30	84,132.15	93,685.52	1,02,779.09	1,08,203.33
वास्तविक व्यय	79,394.32	79,781.44	88,190.15	93,217.78	1,03,823.39
बचत	5,642.98	4,350.71	5,495.37	9,561.31	4,379.94

स्रोत: बजट एक दृष्टि में एवं संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

.

² राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत वसूलियों को सकल बजट के आंकड़ों से बाहर रखा गया है।

3.4.2 बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

बजट में कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय तालिका 3.7 में दिया गया हैं:

तालिका 3.7: 2019-20 के दौरान बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं (₹ करोड़ में)

蛃.	योजना का नाम और वर्गीकरण	बजट	वास्तविक	बचत (+)/
सं.		प्रावधान	व्यय	आधिक्य (-)
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना (2401-109-80)	350.00	92.37	257.63
2	बागवानी किसानों को ऑन-फार्म और विपणन सहायता	100.00		100.00
	(2401-119-54)			
3	विधायक आदर्श ग्राम योजना (वि.आ.ग्रा.यो.) (2515-106-99)	180.20	66.35	113.85
4	बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु हरियाणा ग्राम उदय योजना का	300.00	28.59	271.41
	नाम बदलकर दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना कर दिया			
	गया (4515-101-99)			
5	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता के लिए	120.00	87.67	32.33
	योजना - सामान्य योजना (2515-102-93-99)			
6	राज्य में सौर जल पम्पिंग सिस्टम की स्थापना	400.00	10.92	389.08
	(2810-101-98)			
7	आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	150.00	42.00	108.00
	(2210-80-199-99)			
8	निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता (2235-02-102-99)	200.00	248.72	(-) 48.72
9	अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (2235-02-101-95)	150.00	74.23	75.77
10	गांव दुधौला जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय	120.00	105.50	14.50
	(2230-03-001-91)			
11	दाल रोटी योजना का नाम बदलकर अंत्योदय आहार योजना कर	160.00	160.68	(-) 0.68
	दिया गया (2408-01-001-93)			
	कुल	2,230.20	917.03	1,313.17

स्रोत: वित्त लेखे और विनियोजन लेखे

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2019-20 के दौरान इन योजनाओं पर कुल बजट प्रावधान ₹ 2,230.20 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 917.03 करोड़ (41.12 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। 11 में से सात योजनाओं में व्यय बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम था। उद्धृत कारणों में भारत सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से निधियां प्राप्त न होना, परियोजना ले-आउट का अंतिमकरण न होना, आर्थिक उपाय आदि शामिल थे। इससे लाभार्थियों को वांछित लाभ से वंचित होना पडा।

3.4.3 विकास योजनाएं

2019-20 के दौरान विकास योजनाओं के लिए संशोधित अनुमान ₹ 43,754.80 करोड़ निर्धारित किया गया था। विकास योजनाओं पर ₹ 37,391.88 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जोिक प्रावधानों का 85.46 प्रतिशत थी। मुख्यतः भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने, रिक्त पदों, लाभार्थियों से मांगें प्राप्त न होने, योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का अंतिमकरण न होने आदि के कारण से ₹ 6,362.92 करोड़ की बचतें हुईं, जैसािक निम्नलिखित उप-पैरों में दिया गया है।

- (i) 2019-20 के लिए ₹ 146.47 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय वाली आठ योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी तथा परियोजना के ले-आउट का अंतिमकरण न होने, रिक्त पदों, भारत सरकार से अनुदानों की प्राप्ति न होने आदि के कारण संशोधित अनुमानों (परिशिष्ट 3.4) में वापस ले लिया गया था।
- (ii) 2019-20 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 34 योजनाओं के लिए किया गया ₹ 879.77 करोड़ का प्रावधान कम करके संशोधित अनुमान में ₹ 148.60 करोड़ कर दिया गया था किंतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने, साइंस सिटी के लिए भूमि का अंतिमकरण न करने, रिक्त पदों, लाभार्थियों से मांगों की प्राप्ति न होने आदि के कारण इन योजनाओं (परिशष्ट 3.5) के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था।
- (iii) अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में 12 योजनाओं के लिए ₹ 39.53 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने, लाभार्थियों से मांगों की प्राप्ति न होने आदि के कारण वर्ष 2019-20 (परिशिष्ट 3.6) के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।
- (iv) 10 योजनाओं के लिए किए गए ₹ 201.78 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर ₹ 392.71 करोड़ कर दिया गया था जिसके विरूद्ध वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 131.73 करोड़ का व्यय किया गया, जो कि भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने, लाभार्थियों से मांगों की प्राप्ति न होने, योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का अंतिमकरण न करने, व्यय के लिए संशोधित सीमा, आदि के कारण मूल अनुमानों का 65 प्रतिशत था। अनुप्रक अनुदानों के माध्यम से निधियों में वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमान से कम था (परिशिष्ट 3.7)।
- (v) 51 विकास योजनाओं, जिनके क्रियान्वयन के लिए 2019-20 के दौरान ₹ 4,038.83 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय को संशोधित अनुमानों में घटाकर ₹ 2,274.99 करोड़ कर दिया गया था। इन योजनाओं पर केवल ₹ 1,372.52 करोड़ का व्यय किया गया था जो कि भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने, योग्य छात्रों की कम संख्या, रिक्त पदों, लाभार्थियों से मांगों की प्राप्ति न होने, आदि के कारण संशोधित परिव्यय का 60 प्रतिशत था (परिशिष्ट 3.8)।
- (vi) नौ योजनाएं, जिनके क्रियान्वयन के लिए 2019-20 के दौरान ₹ 183.99 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में घटाकर ₹ 59.90 करोड़ कर दिया गया था, किंतु ₹ 87.08 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित अनुमान का 145 प्रतिशत था जिसका विवरण परिशष्ट 3.9 में दिया गया है।
- (vii) 46 योजनाएं, जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमानों में ₹ 2,258.04 का प्रावधान किया गया था किंतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने, रिक्त पदों, लाभार्थियों से दावों की कम प्राप्ति, मितव्ययी उपायों, आदि के कारण ₹ 1,407.03 करोड़ (62 प्रतिशत) का व्यय किया गया जो कि किए गए प्रावधान से कम था जिसका विवरण परिशिष्ट 3.10 में दिया गया है।

- (viii) लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) के अंतर्गत भवनों (युवा छात्रावास) की एक योजना के लिए संशोधित अनुमानों में ₹ पांच करोड़ का प्रावधान किया गया था। ₹ 1.91 करोड़ (38 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जो कि किए गए प्रावधान से कम था।
- (ix) चार योजनाओं³ के लिए संशोधित अनुमानों में ₹ 59.64 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंत् वर्ष 2019-20 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।
- (x) तीन योजनाओं⁴ के लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान को ₹ 91 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 161.20 करोड़ किया गया था किंतु वर्ष 2019-20 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।
- (xi) 17 योजनाओं के लिए किए गए ₹ 1,071.47 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर ₹ 2,088.79 करोड़ किया गया था जिसके विरूद्ध वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 1,187.42 करोड़ का व्यय किया गया था। आगे, अनुप्रक अनुदानों के माध्यम से निधियों में वृद्धि अधिक सिद्ध हुई क्योंकि भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने, मितव्ययी उपायों, कम योग्य छात्रों, आदि के कारण इन योजनाओं का कुल व्यय संशोधित अनुमानों का 57 प्रतिशत था (परिशिष्ट 3.11)।

3.4.4 व्यय की अधिकता

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के अनुसार व्यय की अधिकता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत परिशिष्ट 3.12 में सूचीबद्ध 10 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 15 शीर्षों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक, जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, का व्यय किया गया।

ऐसे मामलों में, 2019-20 के दौरान किए गए कुल ₹ 3,701.87 करोड़ के व्यय में से ₹ 1,735.39 करोड़ (47 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2020 माह में किया गया। चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर मुख्य शीर्ष 4210-पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत मार्च 2020 महीने के दौरान व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 102.52 करोड़ की निधियां जमा करवाई गई थी। इस प्रकार अंतिम तिमाही के 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध, सिर्फ एक महीने में 47 प्रतिशत व्यय कर दिया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च माह में व्यय की अधिकता, वित्तीय नियमों का अनुपालन न करना दर्शाता है।

⁽i) नगर निगम में सीवेज, जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं: ₹ 42.74 करोड़ (ii) टी.पी.डी.एस. ऑपरेशन के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण में सुधार: ₹ 1.40 करोड़ (iii) लोकायुक्त के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण: ₹ 12.50 करोड़ (iv) जिला और सत्र न्यायालय - फास्ट ट्रैक कोर्ट: ₹ तीन करोड़।

 ^{4 (}i) एस.सी./एस.टी. के लिए घरों का निर्माण/उन्नयन, इंदिरा आवास योजना जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है के अंतर्गत मुक्त बंधुआ मजदूर: मूल बजट: ₹ 30 करोड़ और संशोधित:
 ₹ 32 करोड़ (ii) हरियाणा राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली: मूल बजट: ₹ एक करोड़ और संशोधित:
 ₹ 9.20 करोड़ (iii) स्वच्छ भारत मिशन: मूल बजट: ₹ 60 करोड़ और संशोधित: ₹ 120 करोड़।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.4.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

दो चयनित अनुदानों अर्थात् 09-शिक्षा तथा 13-स्वास्थ्य के संबंध में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई थी जिसमें मूल अनुदानों, अनुपूरक मांगों और वास्तविक व्यय में विविधताओं के परिमाण का विश्लेषण किया गया।

3.4.5.1 अनुदान संख्या 9 - शिक्षा

अनुदान संख्या 9-शिक्षा में प्रमुख शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा और 4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं जिसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया था।

(i) बजट एवं व्यय

पिछले तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) के लिए बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत की समग्र स्थिति *तालिका 3.8* में दी गई है।

वर्ष बचत (-)/ खंड मूल अनुपूरक व्यय कुल प्रावधान आधिक्य (+) (प्रतिशत में) (₹ करोड़ में) 2017-18 राजस्व (दत्तमत) 13,414.09 95.87 13,509.96 11,164.25 (-) 2,345.71 (17) पूंजीगत (दत्तमत) 100.00 0.00 100.00 0.00 (-) 100.00 (100) 11,962.65 2018-19 राजस्व (दत्तमत) 13,587.44 175.00 13,762.44 (-) 1,799.79 (13) पूंजीगत (दत्तमत) 100.00 0.00 100.00 0.00 (-) 100.00 (100) 2019-20 13,941.98 378.12 14,320.10 13,632.85 (-) 687.25 (5) राजस्व (दत्तमत) 0.00 प्ंजीगत (दत्तमत) 100.00 100.00 0.00 (-) 100.00 (100)

तालिका 3.8: बजट प्रावधान तथा व्यय

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

2017-20 के दौरान पूंजीगत (दत्तमत) खंड के अंतर्गत शत-प्रतिशत बचत हुई जो योजनाओं के क्रियान्वयन न होने की ओर संकेत करता है। इससे पता चलता है कि बजट में अवास्तविक प्रावधान किए गए थे।

(ii) बचतें

पंजाब बजट नियमावली, जोिक हरियाणा में लागू है, के पैरा 5.3 में प्रावधान है कि बजट अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिएं और प्रत्येक मद के संबंध में किए जाने वाले प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान करने अथवा खर्च होने की अपेक्षा के आधार पर किए जाने चाहिए।

राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत, 46 उप-शीर्षों (एक करोड़ और उससे अधिक) में ₹ 3,247.89 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,948.79 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,299.10 करोड़ की बचत हुई जोकि कुल प्रावधान के 12 एवं 100 प्रतिशत के मध्य थीं। परिशिष्ट 3.13 में दिए गए विवरणानुसार पूंजीगत (दत्तमत) खंड के अंतर्गत 100 प्रतिशत बचत थी।

(iii) सतत् बचतें

33 उप-शीर्षों में 2017-20 के दौरान (परिशिष्ट 3.14) में दिए गए विवरण के अनुसार कुल प्रावधान के 11 से 100 प्रतिशत के मध्य सतत् बचत दर्ज की गई जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अप्रभावी योजना और अवास्तविक आकलन की ओर संकेत कर रही थी।

(iv) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्याविध समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। इस अनुदान के अंतर्गत तीन योजनाओं में ₹ 378.12 करोड़ के अनुपूरक बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया और अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसा कि *तालिका 3.9* में दिया गया है।

तालिका 3.9: योजनाओं के विवरण जिनमें अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान किए गए थे (₹ करोड़ में)

योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन लिंक्ड	शून्य	105.00	105.00	शून्य	105.00
आउटले (पी.एल.ओ.) (ई.डी.पीपी.एल.ओ आर.ई.वी.) (2202-01-001-93)					
माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन लिंक्ड	शून्य	30.12	30.12	शून्य⁵	30.12
आउटले (पी.एल.ओ.) (ई.डी.एसपी.एल.ओ					
आर.ई.वी.) (2202-02-001-92)					
उच्च शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन लिंक्ड	शून्य	243.00	243.00	शून्य	243.00
आउटले (पी.एल.ओ.) (ई.डी.एचपी.एल.ओ					
आर.ई.वी.) (2202-03-001-96)					
कुल	शून्य ⁶	378.12	378.12	शून्य	378.12

स्रोतः विनियोजन लेखे

आगे संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि सात विश्वविद्यालयों को सहायता/सहायता अनुदान प्रदान करने और सरकारी कॉलेजों की स्थापना पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 243 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता थी। विशिष्ट उप-शीर्षों में अनुपूरक अनुदान

⁶ इन योजनाओं में मूल बजट में केवल ₹ एक हजार आबंटित किए गए थे।

⁵ इस योजना में केवल ₹ 20,000 खर्च किए गए हैं।

प्रदान करने के स्थान पर, उच्च शिक्षा के लिए पी.एल.ओ. के रूप में एकमुश्त अनुदान प्रदान किया गया था जिसे बाद में संबंधित उप-शीर्षों में विपथित कर दिया गया था।

माध्यमिक शिक्षा के पी.एल.ओ. के लिए ₹ 30.12 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया था, जिसकी मांग वास्तव में स्थापना व्यय, छात्रों को छात्रवृत्ति और साइकिल प्रदान करने के लिए की गई थी। निधियां बाद में संबंधित उप-शीर्षों में विपथित कर दी गई थीं।

न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रारंभिक शिक्षा विभाग को चौकीदारों के वेतन के व्यय की पूर्ति के लिए ₹ 105 करोड़ की आवश्यकता थी। लेकिन इन्हें अनुपूरक अनुदान में पी.एल.ओ. के रूप में प्रदान किया गया और बाद में संबंधित उप-शीर्ष में विपथित किया गया।

इस प्रकार, अनुपूरक अनुदान पारदर्शी तरीके से प्रदान नहीं किए गए थे, क्योंकि बाद में निधियों के विपथन को राज्य सरकार के विनियोजन लेखों में नहीं दर्शाया गया है।

(v) अत्यधिक व्यय

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्याविध समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं।

हालांकि, निष्पादन लिंक्ड परिव्यय के रूप में एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान तैयार किए गए थे और बाद में बजट प्रावधानों में पारदर्शिता की कमी के कारण संबंधित उप-शीर्षों में विपथित कर दिए गए थे। उन योजनाओं, जिनमें कुल बजट प्रावधान के विरूद्ध अधिक व्यय किया गया था, का विवरण तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: योजनाओं के विवरण जिनमें अधिक व्यय किया गया था (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	बजट	व्यय	आधिक्य	प्रतिशत में
1	हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति माध्यमिक चरण	2.20	2.98	0.78	35
	(2202-02-107-84)				
2	सूचना प्रौद्योगिकी (2202-03-001-99-97)	4.00	16.82	12.82	320
3	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां	50.00	84.00	34.00	68
	(सोनीपत) की स्थापना (2202-03-102-92)				
4	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक को सहायता	28.00	53.00	25.00	89
	(2202-03-102-96)				
5	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को सहायता (2202-03-102-99)	70.00	125.00	55.00	79
6	सरकारी कॉलेज (2202-03-103-98)	227.50	296.23	68.73	30
7	गैर-सरकारी कॉलेजों को सहायता अनुदान (2202-03-	394.00	490.00	96.00	24
	104-99)				
8	गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम की स्थापना (2202-	20.00	40.00	20.00	100
	03-190-99)				
	कुल	795.70	1,108.03	312.33	39

चूंकि अनुदान संख्या 9 में समग्र व्यय बजट प्रावधानों के भीतर था, विभिन्न योजनाओं में बचत और अधिक व्यय विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की आवश्यकता के अनुमान में पारदर्शिता की कमी और व्यय के प्रवाह की निगरानी में विफलता को दर्शाता है।

3.4.5.2 अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य

अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य में प्रमुख शीर्ष 2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण और 4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं, जिसमें शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं-एलोपैथी, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवा-औषिधयां, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, जन स्वास्थ्य आदि की अन्य प्रणालियों के लिए विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया था।

(i) बजट और व्यय

पिछले तीन वर्षों (2017-18 to 2019-20) के लिए बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत की समग्र स्थिति *तालिका 3.11* में दी गई है।

तालिका 3.11: बजट प्रावधान तथा व्यय

वर्ष	खंड	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत
			(₹ करो	ड़ में)		(प्रतिशत में)
2017-18	राजस्व (दत्तमत)	3,399.43	108.81	3,508.24	3,074.17	434.07 (12)
	राजस्व (भारित)	0.25	0.00	0.25	0.09	0.16 (64)
	पूंजीगत (दत्तमत)	516.60	68.05	584.65	169.49	415.16 (71)
2018-19	राजस्व (दत्तमत)	4,050.41	125.15	4,175.56	3,678.19	497.37 (12)
	राजस्व (भारित)	0.21	0.00	0.21	0.14	0.07 (33)
	पूंजीगत (दत्तमत)	522.50	45.00	567.50	144.70	422.80 (75)
2019-20	राजस्व (दत्तमत)	4,392.73	467.81	4,860.54	4,472.21	388.33 (8)
	राजस्व (भारित)	0.25	0.00	0.25	0.22	0.03 (12)
	प्रंजीगत (दत्तमत)	474.36	220.00	694.36	322.58	371.78 (54)

स्रोत: विनियोजन लेखे

पूंजीगत (दत्तमत) खंड में सतत् बचत 54 एवं 75 प्रतिशत के मध्य रही जो 2017-20 के दौरान प्रक्षेपित बजट प्रावधानों की अप्राप्ति का संकेत है। यह दर्शाता है कि बजट में किए गए प्रावधान अवास्तविक थे।

(ii) बचत

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत, 30 उप-शीर्षों में ₹ 935.80 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 208.61 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 727.19 करोड़ की बचत हुई। ये बचतें कुल प्रावधान के 12 एवं 100 प्रतिशत के मध्य थीं। पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत, नौ उप-शीर्षों में ₹ 494.36 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 33.23 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान ₹ 461.13 करोड़ की बचत हुई। परिशिष्ट 3.15 में दिए गए विवरणानुसार कुल प्रावधान के 75 तथा 100 प्रतिशत के मध्य बचतें थीं।

सारभूत बचत वाली योजनाओं की संवीक्षा करने पर, यह देखा गया कि केराटोप्लास्टी के लिए सहायता अनुदान हेतु प्रदान किए गए ₹ 1.50 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि लाभार्थी जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समितियों के लिए विशिष्ट कोड सृजित नहीं किए गए थे। उप-केंद्रों के रखरखाव के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को अनुदान हेतु निर्धारित ₹ 6.02 करोड़ के प्रावधान का वर्ष 2019-20 के दौरान उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि पी.आर.आई. द्वारा पहले के अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र को अनुदान हेतु ₹ 100 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 88.07 करोड़ राज्य सरकार द्वारा भवन के नक्शे को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण खर्च नहीं किए गए।

विभाग ने मार्च 2020 में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, करनाल के निर्माण के लिए आठ योजनाओं में से ₹ 57.89 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय को विपथित किया जिसका विवरण *तालिका 3.12* में दिया गया है।

तालिका 3.12: कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज, करनाल के निर्माण के लिए विपथित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना से विपथित	बजट अनुमान	विपथित निधियां
1.	एम्स, मनेठी (रेवाड़ी) का निर्माण (4210-03-105-87)	1.00	0.10
2.	महेंद्रगढ़ (नारनौल) में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का	50.00	6.47
	निर्माण (4210-03-105-88)		
3.	राज्य में नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूलों/कॉलेजों का निर्माण (भवनों का	20.00	15.57
	निर्माण) (4210-03-105-89-99)		
4.	नल्हर (नूंह) में डेंटल कॉलेज का निर्माण (4210-03-105-90)	5.00	5.00
5.	बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक का निर्माण	60.00	15.00
	(भवन का निर्माण) (4210-03-105-91-99)		
6.	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल का निर्माण (भवन का	50.00	12.98
	निर्माण) (4210-03-105-92-99)		
7.	बी.पी.एस. महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां, सोनीपत का	5.00	0.57
	निर्माण (भवन का निर्माण) (4210-03-105-97-98)		
8.	नल्हर (नूंह) में मेवात मेडिकल कॉलेज का निर्माण, भवन का	70.00	2.20
	निर्माण (राज्य अंशदान) (4210-03-105-98-97)		
	कुल	261.00	57.89

(iii) सतत् बचतें

28 उप-शीर्षों में वर्ष 2017-20 के दौरान (परिशिष्ट 3.16) में दिए गए विवरण के अनुसार कुल प्रावधान के 11 से 100 प्रतिशत के बीच सतत् बचत दर्ज की गई जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अप्रभावी योजना और अवास्तविक आकलन की ओर संकेत कर रही थी।

(iv) अनावश्यक मूल/अनुपूरक प्रावधान

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। इस अनुदान के अंतर्गत आठ⁷ योजनाओं में ₹ 769.29 करोड़ (मूल बजट: ₹ 113.52 करोड़ + अनुपूरक: ₹ 655.77 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया (कुल प्रावधान की 100 प्रतिशत बचत)। इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ₹ 769.29 करोड़ का मूल/अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि कोई व्यय नहीं किया गया था, जिसका विवरण *तालिका 3.13* में दिया गया है।

तालिका 3.13: योजनाओं के विवरण जिनमें अनावश्यक मूल/अनुपूरक प्रावधान किए गए थे (₹ करोड़ में)

योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	मूल	अनुपूरक	कुल
	बजट		
स्वास्थ्य विभाग के लिए निष्पादन लिंक्ड परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डी.एच.एस		292.95	292.95
पी.एल.ओआर.ई.वी.) (2210-01-001-92)			
स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थानों (पं.रा.सं.) को अनुदान (2210-	6.02		6.02
01-192-99)			
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन लिंक्ड परिव्यय		142.82	142.82
(पी.एल.ओ.) (एम.ई.आरपी.एल.ओआर.ई.वी.) (2210-05-105-72)			
केराटोप्लास्टी के लिए सहायता अनुदान (2210-06-199-99)	1.50	-	1.50
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए निष्पादन लिंक्ड परिव्यय (पी.एल.ओ.)		220.00	220.00
(एम.ई.आरपी.एल.ओसी.ए.पी.) (4210-03-105-86)			
एम्स, मनेठी (रेवाड़ी) का निर्माण कार्य (4210-03-105-87)	1.00		1.00
नल्हर में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-90)	5.00		5.00
भिवानी में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य (4210-03-105-93)	100.00		100.00
कुल	113.52	655.77	769.29

स्रोत: विनियोजन लेखे

यह वित्तीय वर्ष की शेष अविध के लिए निधियों की आवश्यकता के आकलन में किमयों और इस विभाग द्वारा व्यय के प्रवाह की निगरानी करने में विफलता को इंगित करता है। इस प्रकार, निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनावश्यक प्रावधान किए गए थे।

(v) अधिक व्यय

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्याविध समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं।

तालिका 3.14 में दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुपूरक प्रावधान प्राप्त नहीं किया गया था जिसमें कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध अधिक व्यय किया गया था।

_

ग राजस्व खंड के अंतर्गत चार योजनाएं और पूंजीगत खंड के अंतर्गत चार योजनाएं।

तालिका 3.14: योजनाओं का विवरण जिनमें अधिक व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

豖.	योजना का नाम (प्रमुख शीर्ष)	बजट	व्यय	आधिक्य	प्रतिशत
सं.					में
1	मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना (2210-01-110-38)	50.00	70.00	20.00	40
2	शहरी स्वास्थ्य मिशन (2210-01-110-40)	25.00	27.51	2.51	10
3	सहायक सेवाओं की आउटसोर्सिंग (2210-01-110-46)	150.00	207.05	57.05	38
4	एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत सहायता अनुदान (2210-	510.00	662.85	152.85	30
	03-103-84)				
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को खोलना/की निरंतरता,	250.00	286.56	36.56	15
	पी.एच.सी. हेतु दवा की खरीद (2210-03-103-99)				
6	रेफर्ड अस्पताल (एम.एन.पी.) (2210-03-110-98)	28.00	33.86	5.86	21
7	राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु राज्य आयुष सोसाइटी,	30.00	38.48	8.48	28
	हरियाणा को सहायता अनुदान (2210-04-101-81)				
8	बी.पी.एस. महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां सोनीपत	100.00	111.01	11.01	11
	की स्थापना (2210-05-105-82)				
9	महाराजा अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,	70.00	80.00	10.00	14
	अग्रोहा (2210-05-105-94)				
10	महाराजा अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,	3.00	4.00	1.00	33
	अग्रोहा को सहायता अनुदान (2210-05-199-99)				
11	अन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (2210-06-101-58)	14.56	17.20	2.64	18
12	मलेरिया रोग की रोकथाम और नियंत्रण (2210-06-	177.67	210.19	32.52	18
	101-99)				
13	टीकाकरण कार्यक्रम (2211-51-103-99)	18.00	48.52	30.52	170
14	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल का निर्माण	50.00	144.02	94.02	188
	कार्य, भवन का निर्माण (4210-03-105-92-99)				

3.5 निष्कर्ष

राज्य सरकार की बजट प्रणाली सही नहीं थी, क्योंकि 2019-20 के दौरान बजट का कुल उपयोग कुल अनुदान और विनियोग का 83 प्रतिशत था। बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि कुल 46 अनुदानों में से 25 अनुदानों में बचत बीस प्रतिशत से अधिक थी। पिछले पांच वर्षों में 20 अनुदानों और एक विनियोजन में 10 प्रतिशत से अधिक की सतत् बचत हुई।

अनुप्रक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर नहीं थे क्योंकि 50 मामलों में अनुप्रक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता थी। 2019-20 के दौरान 10 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 15 शीर्षों में कुल व्यय का 47 प्रतिशत मार्च 2020 के माह में खर्च किया गया था।

दो अनुदानों में ₹ 153.39 करोड़ का व्यय राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए प्राधिकार से अधिक था जो बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को खराब करता है। 2018-19 से संबंधित ₹ 41.54 करोड़ के अधिक संवितरण के साथ अतिरिक्त व्यय को राज्य विधानमंडल से विनियमित करवाना अपेक्षित है।

ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और बच्चों के पोषण इत्यादि से संबंधित 11 प्रमुख नीतिगत घोषणाओं में ₹ 2,230.20 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध केवल ₹ 917.03 करोड़ (41 प्रतिशत) का व्यय ह्आ था जिसने लाभार्थियों को इच्छित लाभों से वंचित किया।

वर्ष 2019-20 के दौरान विकास योजनाओं पर ₹ 43,755 करोड़ के संशोधित बजट प्रावधान के विरूद्ध कुल मिलाकर ₹ 6,363 करोड़ की बचत हुई। ₹ 1,216.41 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के साथ 61 विकास योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गईं और 125 योजनाओं में वास्तविक व्यय ₹ 7,020 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध केवल ₹ 4,101 करोड़ (58 प्रतिशत) था जो खराब बजटीय और वित्तीय प्रबंधन का संकेत है।

अनुदान संख्या 9 - शिक्षा की समीक्षा ने निष्पादन संबद्घ परिव्यय (नि.सं.प.) के रूप में ₹ 378.12 करोड़ के एकमुश्त अनुपूरक प्रावधानों के मामलों को प्रकट किया, जिसके विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया था, लेकिन बाद में अन्य उप-शीर्षों में विपथित कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष की शेष अविध के लिए निधियों की आवश्यकता के आकलन में पारदर्शिता का अभाव था।

अनुदान संख्या 13 - स्वास्थ्य की समीक्षा में आठ विभिन्न योजनाओं से एक परियोजना में ₹ 57.89 करोड़ की निधियों के अनियमित विचलन का पता चला। अनुदान में बजटीय प्रबंधन में पारदर्शिता का अभाव था क्योंकि ₹ 655.77 करोड़ के एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान किए गए थे जिनके विरूद्ध कोई व्यय नहीं किया गया था।

3.6 सिफारिशें

- सरकार को बड़ी बचत और अनुप्रक प्रावधानों से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता
 और खर्च करने की क्षमता के सही मूल्यांकन के साथ समर्थित, वास्तविक बजट
 अन्मान तैयार करना चाहिए;
- ii. सरकार को अनुपूरक प्रावधानों को तैयार करने में बजट नियमावली के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अवास्तविक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए, अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- iii. सरकार को वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए और समय पर समर्पण के माध्यम से बचत के उचित उपयोग हेतु समय-समय पर निगरानी के माध्यम से व्यय करने के लिए निर्धारित तिमाही लक्ष्यों का पालन करना चाहिए; तथा
- iv. सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों और विकास योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए रणनीति तैयार करने पर विचार कर सकती है।